



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-15102026-277166
CG-AP-E-15102026-277166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5425]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5425]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण तट रेलवे (सड़क सुरक्षा परियोजना)]

अधिसूचना

विशाखापत्तनम, 12 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 5639(अ).— भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा रेल मंत्रालय (ईस्ट कोस्ट रेलवे, निर्माण संगठन) में अधिसूचना संख्या, का.आ. 1642(अ). दिनांक 30 मार्च, 2026 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 1 अप्रैल, 2026 (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) और उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया। रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए के तहत, केंद्र सरकार निष्पादन के उद्देश्यसे उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, "विशाखापत्तनम डिवीजन (पहले खुर्दा रोड डिवीजन) के अंतर्गत हावड़ा-विशाखापत्तनम मेन लाइन पर मंडासा-सुम्मादेवी स्टेशनों के बीच किमी 664/11-13 पर स्थित एल.सी. संख्या 359 (मैन-ऑपरेटेड लेवल क्रॉसिंग) को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी) का निर्माण।" के निर्माण का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, आंध्र प्रदेश राज्य के जिला-श्रीकाकुलम में निर्दिष्ट भूमिका अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है।

और, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् तेलुगु में "आंध्र ज्योति" (श्रीकाकुलम संस्करण) में दिनांक 12 अप्रैल, 2026 को और अंग्रेजी में "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" (विशाखापत्तनम संस्करण) में दिनांक 12 अप्रैल, 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित हुआ था।

और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है। और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा।

अतः यह की केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगो से मुक्त हो कर केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के जिला- श्रीकाकुलम में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् " विशाखापत्तनम डिवीजन (पहले खुर्दा रोड डिवीजन) के अंतर्गत हावड़ा-विशाखापत्तनम मेन लाइन पर मंडासा-सुम्मादेवी स्टेशनों के बीच किमी 664/11-13 पर स्थित एल.सी. संख्या 359 (मैन-ऑपरेटेड लेवल क्रॉसिंग) को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी) का निर्माण" के अंतर्गत आनेवाली संरचना के साथ या बिनासंरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अधिग्रहण के लिए निजी (बंदोबस्ती) ज़मीनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे नंबर/उप-विभाजन नंबर	एकड़ में हासिल किया गया रकबा.	वर्गीकरण	पट्टाधारक/उपयोगकर्ता का नाम	अगर कोई पेड़ हों तो	अगर कोई संरचनाएँ हों तो
1	मखराजोला	34-25B	0.01	सूखा	श्री नरसिम्हा स्वामी, मंडासा	शून्य	शून्य
2	मखराजोला	34-26B	0.01	सूखा	श्री नरसिम्हा स्वामी, मंडासा	शून्य	शून्य
3	मखराजोला	34-27B2	0.03	सूखा	श्री नरसिम्हा स्वामी, मंडासा	शून्य	शून्य
4	मखराजोला	34-28C	0.04	गीला	श्री नरसिम्हा स्वामी, मंडासा	शून्य	शून्य
5	मखराजोला	34-30 B1B	0.13	सूखा	श्री नरसिम्हा स्वामी, मंडासा	शून्य	शून्य
	कुल		0.22				
6	रंगनाधापुरम	नहीं					
7	कोट्टाकमलापुरम	नहीं					
	कुल योग		0.22				

सरकारी ज़मीन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे नंबर/उप-विभाजन नंबर	एकड़ में हासिल किया गया रकबा.	वर्गीकरण	पट्टाधारक / उपभोगकर्ता का नाम	अगर कोई पेड़ हों तो	अगर कोई संरचनाएँ हों तो
1	रंगनाधापुरम	2	1.41	पोरम्बोकु	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
2	रंगनाधापुरम	5	0.68	पोरम्बोकु	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य

3	रंगनाधापुरम	6	0.36	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
4	रंगनाधापुरम	27	0.76	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
5	रंगनाधापुरम	788	0.65	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
	कुल		3.86				
6	कोट्टाकमलापुरम	61-1B	0.10	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
7	कोट्टाकमलापुरम	62-2B	0.20	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
8	कोट्टाकमलापुरम	62-3A2	0.03	पोरम्बोक्	कलुवा	शून्य	शून्य
9	कोट्टाकमलापुरम	63-1B	0.25	पोरम्बोक्	गेड्डा	शून्य	शून्य
10	कोट्टाकमलापुरम	63-2A	0.02	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
11	कोट्टाकमलापुरम	64-1B1	0.16	पोरम्बोक्	एनएच 5 सड़क	शून्य	शून्य
	कुल		0.76				
	कुल योग		4.62				

[फा. सं. SCoR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-359/ROB/20E]

चौ. विजयकुमार, उप मुख्य अभियंता/निर्माण/

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Coast Railway (Road Safety Projects)]

NOTIFICATION

Visakhapatnam, 12 October, 2026

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 5639(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organization), Notification number, S.O.1642(E). dated 30th March, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3 Sub-section (ii), dated 1st April, 2026 (herein after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “Construction of Road over Bridge (ROB) in lieu of closing of manned of **L.C.No. 359** at Km 664/11-13 between stations Mandasa - Summadevi on Howrah Visakhapatnam main line under Visakhapatnam Division (erstwhile Khurda Rd Division), Srikakulam District in the State of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely "**Andhraajyothi**" in Telugu (Srikakulam Edition) on dated **12th April, 2026** and "**The Times of India**" in English (Visakhapatnam Edition) dated **12th April, 2026** under sub- section (4) of section 20A of the said Act and whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely “Construction of Road over Bridge (ROB) in lieu of closing of manned of **L.C.No.359** at Km 664/11-13 between stations Mandasa - Summadevi on Howrah Visakhapatnam main line under Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Rd Division) in Srikakulam District in the State of Andhra Pradesh.

The Private (Endowment) land details are furnished below:

S.No	Name of the Village	Sy. No /Sub division No	Acquired extent in Ac.	Classification	Name of the Pattadar/Enjoyer	Trees if any	Structures if any
1	Makharajola	34-25B	0.01	Dry	Sri Narsimha Swamy, Mandasa	Nil	Nil
2	Makharajola	34-26B	0.01	Dry	Sri Narsimha Swamy, Mandasa	Nil	Nil
3	Makharajola	34-27B2	0.03	Dry	Sri Narsimha Swamy, Mandasa	Nil	Nil
4	Makharajola	34-28C	0.04	wet	Sri Narsimha Swamy, Mandasa	Nil	Nil
5	Makharajola	34-30 B1B	0.13	Dry	Sri Narsimha Swamy, Mandasa	Nil	Nil
	Total		0.22				
6	Ranganadhapuram	NIL					
7	Kottakamalapuram	NIL					
	Grand total		0.22				

The Government land details are furnished below:

S.No	Name of the Village	Sy.No/ Sub division No	Acquired extent in Ac.	Classification	Name of the Pattadar /Enjoyer	Trees if any	Structures if any
1	Ranganadhapuram	2	1.41	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
2	Ranganadhapuram	5	0.68	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
3	Ranganadhapuram	6	0.36	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
4	Ranganadhapuram	27	0.76	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
5	Ranganadhapuram	788	0.65	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
	Total		3.86				
6	Kottakamalapuram	61-1B	0.10	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
7	Kottakamalapuram	62-2B	0.20	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
8	Kottakamalapuram	62-3A2	0.03	Poramboku	Kaluva	Nil	Nil
9	Kottakamalapuram	63-1B	0.25	Poramboku	Gedda	Nil	Nil
10	Kottakamalapuram	63-2A	0.02	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
11	Kottakamalapuram	64-1B1	0.16	Poramboku	NH5 Road	Nil	Nil
	Total		0.76				
	Grand Total		4.62				

[F. No. SCOR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-359/ROB/20E]

CH. VIJAYAKUMAR, Dy. CE/C/I/VSKP